न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/88/2019	16—09—2019	18—12—2019

01— जमशेद पुत्र नसरू जाति मेव निवासी ग्राम रसगण तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01— तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 05.04.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 152/2018

उपस्थितः—

01—श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 05.04.2018 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम रसगण की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 28.26 है0 में से 0.75 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रसगण की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 28.26 है0 में से 0.75 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट को सजा व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध दिनांक 16.09.2019 को पेश किया। जो करीब 1 वर्ष 05 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 16.09.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांट को सजा के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18—12—2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)